

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक 22-4-15/

विषय :- चक्रवातीय आँधी-तूफान एवं आकस्मिक वर्षा /ओलावृष्टि से हुई क्षति से संबंधित प्राथमिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 21-04-2015 को रात्रि 09:13 बजे मधेपुरा जिला में चक्रवातीय आँधी-तूफान एवं आकस्मिक वर्षा /ओलावृष्टि हुई, जिसमें मानव, पशु, फसल एवं गृह क्षति के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई, तदोपरान्त आज दिनांक 22-04-2015 को क्षति से संबंधित प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्न प्रकार है :-

(क) मानव क्षति-

प्रखंड-मुरलीगंज

1. डब्लू कुमार, पिता इन्द्रदेव यादव, उम्र-19 वर्ष, डुमरिया कोल्हायपट्टी
2. बिन्दा देवी, पति मिश्री लाल यादव, उम्र-55 वर्ष, मोरकाही, पंचायत पोखराम परमानन्दपुर
3. युगेश्वर यादव, पिता अनूप लाल यादव, उम्र-50 वर्ष, कोल्हायपट्टी
4. बिन्दा देवी पति फेकू यादव, उम्र-55 वर्ष, रमणी, वार्ड नं0-12, गंगापुर
5. रानी कुमारी पिता घनश्याम यादव, उम्र-10 वर्ष, ग्राम+पो0-डुमरिया, कोल्हायपट्टी

प्रखंड-बिहारीगंज

1. पार्वती देवी, पति यदु मेहता, उम्र-63 वर्ष, ग्राम-बैजनाथपुर, राजगंज

प्रखंड-मधेपुरा

1. देवाशीष कुमार, उम्र-10 वर्ष, मदनपुर पंचायत, वार्ड नं0-02, गाँधी टोला

उपरोक्त 07 मृतकों के आश्रित को चार लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान कर दी गई है।

(ख) पशु क्षति :- मुरलीगंज प्रखंड से 04 पशुओं की क्षति का प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) फसल क्षति :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा के अनुसार मक्का के कुल बोये गये क्षेत्र का 30 प्रतिशत भाग में क्षति (50 प्रतिशत से उपर) हुई है।

(घ) गृह क्षति :- गृह क्षति का प्रतिवेदन संकलित करने हेतु पदाधिकारियों /कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आकलन करने का कार्य जारी है। जिनका घर तेज आँधी-तूफान में उड़ गया है, उन्हें अंचल स्तर से पॉलीथीन शीट उपलब्ध कराया गया है।

क्षति का विस्तृत प्रतिवेदन संकलित करने हेतु प्रत्येक पंचायत में तीन पंचायत स्तरीय कर्मियों की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षण हेतु प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

22/4/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक 22-4-15

विषय :- चक्रवातीय आँधी-तूफान एवं आकस्मिक वर्षा /ओलावृष्टि से हुई क्षति से संबंधित प्राथमिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 21-04-2015 को रात्रि 09:13 बजे मधेपुरा जिला में चक्रवातीय आँधी-तूफान एवं आकस्मिक वर्षा /ओलावृष्टि हुई, जिसमें मानव, पशु, फसल एवं गृह क्षति के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई, तदोपरान्त आज दिनांक 22-04-2015 को क्षति से संबंधित प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्न प्रकार है :-

(क) मानव क्षति-

प्रखंड-मुरलीगंज

1. डब्लू कुमार, पिता इन्द्रदेव यादव, उम्र-19 वर्ष, डुमरिया कोल्हायपट्टी
2. बिन्दा देवी, पति मिश्री लाल यादव, उम्र-55 वर्ष, मोरकाही, पंचायत पोखराम परमानन्दपुर
3. युगेश्वर यादव, पिता अनूप लाल यादव, उम्र-50 वर्ष, कोल्हायपट्टी
4. बिन्दा देवी पति फेकू यादव, उम्र-55 वर्ष, रमणी, वार्ड नं0-12, गंगापुर
5. रानी कुमारी पिता घनश्याम यादव, उम्र-10 वर्ष, ग्राम+पो0-डुमरिया, कोल्हायपट्टी

प्रखंड-बिहारीगंज

1. पार्वती देवी, पति यदु मेहता, उम्र-63 वर्ष, ग्राम-बैजनाथपुर, राजगंज

प्रखंड-मधेपुरा

1. देवाशीष कुमार, उम्र-10 वर्ष, मदनपुर पंचायत, वार्ड नं0-02, गाँधी टोला

उपरोक्त 07 मृतकों के आश्रित को चार लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान कर दी गई है।

(ख) पशु क्षति :- मुरलीगंज प्रखंड से 04 पशुओं की क्षति का प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) फसल क्षति :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा के अनुसार मक्का के कुल बोये गये क्षेत्र का 30 प्रतिशत भाग में क्षति (50 प्रतिशत से उपर) हुई है।

(घ) गृह क्षति :- गृह क्षति का प्रतिवेदन संकलित करने हेतु पदाधिकारियों /कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आकलन करने का कार्य जारी है। जिनका घर तेज आँधी-तूफान में उड़ गया है, उन्हें अंचल स्तर से पॉलीथीन शीट उपलब्ध कराया गया है।

क्षति का विस्तृत प्रतिवेदन संकलित करने हेतु प्रत्येक पंचायत में तीन पंचायत स्तरीय कर्मियों की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षण हेतु प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

जापाके 108, दिनांक 22-4-15

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/4/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

दिनांक 21-04-15 को आला वृत्त/अति वृत्त से उद्यानिक फसलों में इस शर्त

से संबंधित प्रतिवेदन :- (सहायक निदेशक, उद्यान, मधुपुर)

क्र.सं.	उद्यानिक फसलों के नाम	खिले में आश्वासित रकम (₹ में)	शर्त का प्रतिशत	अग्रियुक्ति
1.	आम	4021 ₹	50%	
2.	नींबू	2562 ₹	50%	
3.	पपीता	175 ₹.	50%	
4.	केला	720 ₹	50%	
5.	उमरु	135 ₹.	50%	
6.	किंगी	240 ₹.	50%	
7.	खीरा	120 ₹.	50%	
8.	अन्य सब्जी	570 ₹.	50%	
		<u>8543 ₹.</u>		


 दिनांक 22-4-15
 सहायक निदेशक, उद्यान, मधुपुर